ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-7* October-2021
Anthology : The Research

भारत में लोकतंत्रः एक अध्ययन

Democracy in India: A Study

Paper Submission: 10/10/2021, Date of Acceptance: 24/10/2021, Date of Publication: 25/10//2021

मुकेश कुमार मिश्रा
प्रवक्ता,
राजनीतिक विभाग,
जय माँ भगवती सोनांचल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पुसौली, रोबर्ट्सगंज,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक आदर्श तथा मूल्य के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि प्रजातंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यह इतना व्यापक हो चुका है कि इसके आदर्शों की सराहना सभी व्यक्तियों के द्वारा की जाती रही है। प्रजातंत्र का इतिहास अति प्राचीन है। इसने बड़े-बड़े साम्राज्यों को ध्वस्त कर शासन सत्ताओं के स्वरूप को परिवर्तित किया है। अतः इस कारण इसे आज सम्पूर्ण मानवता ने आत्मसात् कर लिया है। अनेक विद्वानों ने प्रजातंत्र को एक शासन प्रणाली ही नहीं माना अपितु इसे एक जीवन पद्धति के रूप में माना है। किन्तु पूर्वकाल में इसे राजनीतिक पहलू तक ही सीमित माना जाता था लेकिन वत्र्तमान युग में इसे सिर्फ राजनीतिक पहलू तक ही सीमित नहीं माना जाता है। यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तीनों पक्षों से समान रूप से जुड़ा हुआ है। प्रजातंत्र का सामाजिक पक्ष व्यक्तियों की सामाजिक समानता का बढ़ावा देता है, आर्थिक पक्ष आर्थिक सुरक्षा का संरक्षण करता है तथा राजनीतिक पक्ष राजनीतिक सुरक्षा को संरक्षित करता है।1 अतः वत्र्तमान में प्रजातंत्र एक व्यापक अवधारणा के रूप में हमारे सम्मुख विधमान है।

The modern age is the age of democracy. It is known as an important social, political ideal and value. This is the reason why democracy is known as the best form of government. At present it has become so widespread that its ideals have been appreciated by all persons. The history of democracy is very ancient. It has changed the nature of ruling powers by destroying big empires. Therefore, for this reason, it has been assimilated by the entire humanity today. Many scholars have considered democracy not only as a system of governance but as a way of life. But in the past, it was considered limited to the political aspect, but in the present era it is not considered limited to the political aspect only. It is equally related to all three aspects: social, economic and political. The social aspect of democracy promotes social equality of individuals,

The economic side protects the economic security and the political side protects the political security. 1 Therefore, at present, democracy is present in front of us as a comprehensive concept.

मुख्य शब्दः लोकतंत्र, भारत का कानून, पंथ निरपेक्ष, नया पालिका, राजनीतक दल, सशक्तीकरण।

Keywords: Democracy, Law of India, Secular, New Municipality, Political Party, Empowerment.

प्रस्तावना

भारत का संविधान एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। गाँधी जी ने जिस आदर्शवादी राम राज्य की कल्पना की थी, उसके मूल्य हमारी संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मूल में है। भारतीय संसद प्रजातंत्र का मंदिर है। संसदीय लोकतंत्र एक सभ्य और सुसंस्कृत शासन प्रणाली है। उसकी अपनी एक संस्कृति है कि कौन से कृत्य संसदीय अथवा असंसदीय है। भारत के लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि विगत 70 वर्षों तक संसदीय लोकतंत्र हमारे यहां सफलता पूर्वक चलता आ रहा है। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार यहां की जनता है और जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि संसद और विधान सभाओं में जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद में जन आकांक्षाओं के अनुरूप नितियों का निर्धारण किया जाता है। जन समस्याओं पर संसद मौन नहीं रहती। संसद ही वह स्थान है जहाँ प्रतिनिधियों एवं मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा होती है। भारत में प्रथम आम चुनाव के पश्चात् विपक्ष काफी कमजोर था लेकिन उसकी भूमिका सशक्त थी। आचार्य कृपलानी, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार हुकुम सिंह जैसे नेताओं ने अपने कौशल्य से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। इसके अतिरिक्त प्रारम्भ में कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कुछ नेता ऐसे रहे जो विपक्षियों जैसा ही व्यवहार करके शासन की नीतियों की आलोचना द्वारा शासकों को सर्तक तथा जन कल्याण के लिए प्रेरित करने का कार्य करते थे। पंडित नेहरू के अनुसार ‘‘वह अपने दल से आयी आलोचना का स्वागत करते थे।‘‘ प्रसिद्ध मूदडा कोडा कांग्रेस के ही वरिष्ठ साथियों ने उजागर किया था जिसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री को

अपना पद छोडना पड़ा था।3 हमारे देश की संसद ने न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है बल्कि इन मूल्यों को ऊँचाई पर भी पहुचाने का कार्य किया है।

भारतीय लोकतंत्र के सर्वाधिक सबल पक्ष का पता डॉ0 सुभाष कश्यप के इस कथन से लगाया जा सकता है कि "भारतीय मतदाता किसी भी दल को सत्ता से वंचित कर सकता है और अपने देश की राजनीतिक संरचना तथा इतिहास के प्रवाह को बदल सकता है। यही लोकतंत्र का सार और आधार है।"5 1993 के 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन से यह स्पष्ट हो चुका है कि लोकतंत्र अब भारत के घर-घर में पहुँच चुका है। पिछले लगभग 7 दशकों में भारत में सम्पन्न हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत में प्रजातंत्र अपनी जड़े मजबूती से जमा चुका है। टी0 एन0 शेषन, जी0 बी0 जी0 कृष्णमूर्ति, लिंगदोह जैसे चुनाव आयुक्तों ने भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदान जागरूकता अभियान, बी0 बी0 पी0 ए0 टी0 एवं ई0 वी0 एम0 मशीनों द्वारा मतदान एवं प्रत्याशियों पर लगाम कसने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाये हैं जिनसे कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके।

पंथ निरपेक्षता के सिद्धान्त ने भी भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। भारत जैसे देशों में जहाँ की अनेकों धर्मों के लोग निवास करते हैं, यदि सरकार किसी धर्म विशेष को संरक्षण देती है तो स्वाभाविक है कि वह अन्य धर्मों के लोगों को समानता का अधिकार नहीं दे सकती। लोकतंत्र का आधार व्यक्ति के मानवीय अधिकार है और पंथ निरपेक्षता ने इसको सुरक्षित रखने का कार्य किया है। हमारे मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतंत्र मीडिया, महिला सशक्तिकरण, ग्राम पंचायत, सत्ता का विकेन्द्रीकरण आदि ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक लोकतंत्र को भी स्थापना की गयी है। हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन पर बल दिया गया है। नियोजित आर्थिक विकास ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। किसी स्वस्थ्य लोकतांत्रिक प्रणाली की सार्थकता इस बात से तय होती है कि वह प्रणाली समाज के आर्थिक न्याय को अन्तिम जन तक किस सीमा तक और कितनी सक्रियता से पहुँचा रही है। इसमें सिविल सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार, तथा नौकरशाही पर लगाम कसने का कार्य सत्ताधीन सरकारें करती है, जिनसे लोकतंत्र को शक्ति प्राप्त होती रही है।

अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ही भारत ने पिछले 70 वर्षों में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। कृषि में भारत आज आत्मनिर्भर है। विश्व समुदाय के सामने एक सक्षम और स्वभिमानी राष्ट्र के रूप में भारत ने अपनी पहचान बनायी है। आज स्थिति यह है कि, हरित क्रांति के कारण भारत खाधान्न का निर्यात करता है। स्वेत क्रंति के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र ने नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का परिणाम है 'अरिहंत' जो कि हर तरह की सामरिक चुनौति का सामना करने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त दूरसंचार तथा इंटरनेट जैसी सुविधायें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विधुतिकरण योजना, उज्जवला, स्टाअप इंडिया, सुगम्य भारत अभियान, जनधन योजना, स्टैंडअप इंडिया तथा मुद्रा योजना आदि के मूल में लोकतंत्र की भावना ही निहित है। अपनी विभिन्न समस्याओं के बावजूद भारत का लोकतंत्र तीसरी दुनिया के अन्य देशों के लिए एक मिशाल बना हुआ है। उसी आर्थिक प्रगति और विकास दर भी अन्य विकासशील देशों के लिए एक प्रेरक तत्व बने हैं। वर्तमान केन्द्र सरकार की 'सबका साथ सबका विकास' अवधारणा में लोकतंत्र की ही छाया दृष्टिगोचर होती है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारत की जनता भी सच्चे मायनों में लोकतंत्र की सच्ची समर्थक कही जा सकती है जब जब भी इस देश ने यह महसूस किया कि सत्ता या शक्ति प्रतिष्ठान नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं तो जनता ने उसे अपनी शक्ति का अहसास कराया है। सेवा साइलेंट वैली आन्दोलन, चिपको आन्दोलन, जे0 पी0 आन्दोलन, जन लोकपाल व कालेधन के खिलाफ आन्दोलन आदि के द्वारा जनता ने सत्तासीन लोगों को अपनी शक्ति से परिचित कराया है, जो कि लोकतंत्र का एक शुभ संकेत था। कई बार सत्ताधारियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करके लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। लेकिन जनमानस के दबाव के चलते ऐसे निर्णय वापस भी लिए गये हैं जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक हैं।

चुनौतियाँ

भारत दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। निस्सन्देह भारत में लोकतंत्र की जड़े बहुत गहराई तक फैली हुई है। यद्यपि हमारे लोकतंत्र में समय के साथ-साथ कुछ ऐसी गिरावट आ गयी है जिनके कारण लोकतंत्र से हमारा भरोसा कभी-कभी उठने लगता है। ऐसा तब होता है जब लोकतंत्र हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता। दरअसल यहाँ कमी लोकतंत्र की नहीं बल्कि व्यवस्था की है, व्यवस्था से जुड़े लोगों की है।

निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव जीतने के लिए बाहुबल तथा धनबल की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। अपराधिक तत्वों द्वारा मतदान केन्द्र पर कब्जा करना, फर्जी मतदान कराना, मतदाताओं को अवैध रूप से धन, शराब तथा नशीले पदार्थ मुहैया कराने के साथ-साथ निर्वाचन में बड़े पैमाने पर अबैध धन खर्च करना साधारण बात हो गई है।6 नेताओं की अवसरवादिता, राजनीति का अपराधीकरण, दूषित चुनावी प्रक्रिया, भ्रष्टाचार नैतिक मूल्यों का पतन, निजी स्वार्थ, गरीबी, निरक्षरता, न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिश, कमजोर विपक्ष सम्प्रादायिक्ता, आतंकवाद, भाषावाद, बेरोजगारी, तुष्टीकरण की नीति, आरक्षण, नौकरशाही का राजनीतिकरण आदि जैसे विकराल समस्याऐं आज लोकतंत्र का उपहास बन रही है। विश्व का श्रेष्ठ संविधान होने तथा लोकतंत्र को सुरक्षित करने वाला संविधान भी आज सत्ताधारियों द्वारा मनचाहे ढंग से चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में हुए संविधान संशोधन इसके गवाह हैं।

इस समय लोकतंत्र के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो चुकी है। संविधान लागू करते समय डॉ0 भीम राव अम्बेडकर ने चेताया और कहा था कि भारत में राजनीतिक समानता एवं दूसरी तरफ सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का अंतविरोध स्थापित हो रहा है। इसे शीघ्र समाप्त करने की जरूरत है। अन्यथा गैर-बराबरी के शिकार समूह राजनीतिक बराबरी में अपना विश्वास खो देंगे। आज भी डॉ0 अम्बेडकर की चेतावनी प्रसांगिक है।7 आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी गरीबी दूर नहीं हुई है। असमानता बढ़ी है। कुपोषित बच्चों की संख्या के लिहाज से भी एक तिहाई आबादी भारत में है। बढ़ती जी0 डी0 पी0 इकॉनामी पर भूखा बचपन भारी पड़ रहा है। लैंगिक असमानता भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। मीटू आन्दोलन तथा आम जनता के रूढिवादी स्वभाव के कारण केरल के सबरीमाला मन्दिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति लैंगिक असमानता को प्रकट कर रही है। बेरोजगारी को प्राप्त पीढ़ी आत्महत्या का रास्ता अपना रही है। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष आवश्यक है, लेकिन आज विपक्ष भी अपना वजूद खो चुका है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर अपात्तिजनक, अशोभनीय टिप्पणी, न्यायपालिका की साख में कमी, जन प्रतिनिधियों का जनता में विश्वास न रहना, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, प्रेस की विश्वसनीयता में कमी आदि तत्व लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। आज भारत की शीर्ष जाँच एजेन्सी (सी0 बी0 आई0) की दुर्दशा पर भारत का लोकतंत्र अपने अस्तित्व की दुविधा से जूझ रहा है।

भारतीय लोकतंत्र के समक्ष गम्भीर चुनौती सामंती वंशवाद एवं परिवारवाद ने उत्पन्न की है। जमींदारों, राजे-राजवाडों व औधोगिक घरानों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, धार्मिक संस्थाए, कुछ लोगों के पुत्र-पुत्री, पत्नी, बहु एवं अन्य रिश्तेदारों से भरी पड़ी है।

सुझाव

भारतीय लोकतंत्र को कमजोर बनाने में हमारे राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। भारतीय लोकतंत्र जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम एवं समृद्ध है। परन्तु, इसमें जो कमियाँ हैं उसे दूर करने से भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत एवं गहरा हो सकता है। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव हैं -

1. किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि समाज का चरित्र ऊंचा हो। यदि राष्ट्रीय चरित्र नैतिक है, कर्तव्यपरायण और ईमानदार है तो निश्चित रूप से देश में एक ऐसा वातावरण बन जायेगा जिसमें लोकतंत्र फलता-फूलता रहेगा।
2. लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों व मूल्यों के प्रति विश्वास पैदा हो। जनता इतनी समझदार और शिक्षित होनी चाहिए कि वह सार्वजनीक समस्याओं पर खुलकर विचारों को प्रकट कर सके और वक्त आने पर इन समस्याओं का समाधान भी तलाश सके।
3. निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी दलो एवं प्रत्याशियों को भारतीय संविधान वर्णित प्रस्तावना के आदर्शों का पालन एवं रक्षा सच्चे मन से करनी चाहिए।
4. निर्वाचन में सम्मिलित होन े वाले उम्मीदवारों क े शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होना चाहिए।
5. एक चुनाव में एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध हो।

6. चुनाव में प्रतिनिधियों के द्वारा खर्च किये गए धन की जाँच पड़ताल कराने हेतू एक अलग से समिति का गठन किया जाना चाहिए एवं काले धनों के इस्तेमाल के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण एवं निगरानी रखनी चाहिए। चुनाव में निर्धारित किये गए धन की तुलना में यदि कोई नेता अधिक धनराशि खर्च करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर देनी चाहिए।
7. राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार अधिनियम के अन्त्रगत लाया जाए ताकि आम जनता दलों से सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त कर सकें।
8. एक सैद्धांतिक द्विदलीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। किन्तु भारत में एक स्वस्थ्य द्विदलीय मीडिया को भी पीली पत्रकारिता से हटकर काम करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उसे एक स्वस्थ और रचनात्मक भूमिका निभानी होती है।
9. चुनावों में ई-वोटिंग का प्रावधान होना चाहिए।
10. आर्थिक स्वतंत्रता और समानता ही वास्तविक प्रजातंत्र का आधार माना जाता है। भूखे व्यक्ति के लिए प्रजातंत्र का कोई महत्व नहीं हो सकता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि समाज में धन का वितरण इस तरह होना चाहिए कि अधिक से अधिक मनुष्य उसका उपभोग कर सकें और सभी लोगों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि की पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त हों। सच्चे आर्थों में प्रजातंत्र की स्थापना तभी संभव है।
11. आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पांच वर्ष में एक बार अपने प्रतिनिधि चुनकर जनता के अधिकार और कत्र्तव्यों की इतिश्री हो जाती है और व्यवहार में जनता का अपने इन प्रतिनिधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। मतदाताओं का कत्र्तव्य मतदान के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, वरन निर्वाचित प्रतिनिधि और मतदाता के बीच नियमित सम्पर्क रहना चाहिए ताकि वे परस्पर उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह कर सके।
12. प्रेस और न्यायपालिका वास्तविक तथा सम्पूर्ण अर्थों में पूर्ण स्वतंत्र होनी चाहिए तथा उसमें निर्भयता की भावना होनी चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग स्वतंत्र चेतना शक्ति और नैतिक साहस से युक्त हो तथा विपक्ष इतना सबल हो कि शासक दल का विकल्प बन सके।
13. लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त किया जाय और वह लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक न्याय। आज लोकतंत्र चैराहे पर खड़ा है। यदि उर्पयुक्त बातें पुरी हो जाती है तो प्रचण्ड वायु के झोंके भी लोकतंत्र की नीव को हिला नहीं पायेंगे, किन्तु यदि ये बातें पूरी नहीं होगी तो लोकतंत्र के शक्तिशाली पांव कीचड़ में धंस जायेंगे।

निष्कर्ष

भारत में लोकतंत्र के प्रति आस्था को किसी प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत जैसे बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक समाज में जातीय तथा साम्प्रदायिक आक्रमण के द्वारा राजनीतिक दल इसे विनाश की ओर ढ़केल रहे हैं, लेकिन आवश्यक्ता इस बात की है कि लोकतन्त्र को अधिक से अधिक सशक्त बनाने के लिए जनता को संकीर्णता के दायरे से ऊपर उठकर इन लोकतंत्र विरोधी ताकतों का सामना करना होगा, तभी लोकतंत्र के ऊपर मंडराते खतरे को दूर किया जा सकता है। सतत् जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत होती है और यदि भारतीय जनता की जागरूकता बनी रही तो भारत में लोकतंत्र सदैव स्वस्थ और मजबूत रहेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *राठौर जगदीप, भारतीय राजनीति की संरचना, इशिका पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर (नई दिल्ली) संस्करण 2013, पृ. 1- 12*
2. *सईद एस0 एम0, भारतीय राजनीति व्यवस्था, प्रिंटर्स, नई दिल्ली 2010, पृ. 178*
3. *कश्यप सुभाष, हमारी संसद, पृ. 234*
4. *अमर उजाला, वर्ष 7, अंक 3, नवम्बर 2017, पृ. 92*
5. *डॉ0 सुभाष कश्यप, दिनमान - 6 सितम्बर 1970, पृ. 6-7*
6. *हिन्दुस्तान हिन्दी संस्करण दिनांक 11 मार्च 2012*
7. *मोहम्मद आयूब, इण्डियन इलेक्शनः ए पोलेटिकल मेरल स्टोन, वाशिंगटन, क्वार्टरली 1996, पृ. 21-36*
8. *गोयल सीताराम, हिन्दू टेम्पुल्सः हाउ हैपेन्ड टु देम, प्रथम वाल्यूम, वायस आॅफ इण्डिया, नई दिल्ली 1990, पृ. 36-37*